सोनभद्र पुलिस

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 18.06.2026

थाना रायपुर, पन्नुगंज, कोतवाली रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 शातिर गो-तस्कर घायल सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- **₹50,000 के इनामिया गो-तस्कर अभियुक्त विकास यादव गिरफ्तार।**
- **02 अवैध तमंचा .315 बोर, 02 जिंदा एवं 04 खोखा कारतूस बरामद।**
- **06 गोवंश एवं घटना में प्रयुक्त एक पिकअप वाहन बरामद।**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) **श्री ऋषभ रुणवाल** एवं क्षेत्राधिकारी सदर **श्री राज सोनकर** के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक रायपुर के कुशल नेतृत्व में थाना रायपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना रायपुर, पन्नुगंज, कोतवाली रॉबर्ट्सगंज पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम द्वारा गो-तस्करी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, **जिनमें ₹50,000 का इनामिया अभियुक्त** भी शामिल है।

• घटना का संक्षिप्त विवरण एवं कृत कर्यवाही- :

दिनांक 17/18.06.2026 कि रात्रि में समय लगभग 01.15 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक पिकअप वाहन से गोवंशों को मधुपुर-नौगढ़-चकरघट्टा मार्ग होते हुए बिहार ले जाया जा रहा है। **सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना रायपुर क्षेत्र के सारसोत के पास बैरियर लगाकर घेराबंदी की गई।** पुलिस टीम को देखकर वाहन सवार अभियुक्तों ने गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी तथा भागने का प्रयास किया।

पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में दो अभियुक्त घायल होकर गिर पड़े। तत्पश्चात पुलिस टीम द्वारा साहस एवं सतर्कता का परिचय देते हुए एकाएक धावा बोलकर दोनों घायल अभियुक्तों सहित एक अन्य अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल/गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान **01.** विकास यादव पुत्र बुट्टन यादव निवासी झरिया, थाना चैनपुर, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार, **02.** मेराज कुरैशी पुत्र

अकबर कुरैशी निवासी चैनपुर, थाना चैनपुर, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार व **गिरफ्तार अभियुक्त** की पहचान विजय प्रताप यादव उर्फ वकील यादव पुत्र सीताराम निवासी हथिनी, थाना चकरघट्टा, जनपद चंदौली के रूप में हुई।

तलाशी के दौरान विकास यादव एवं मेराज कुरैशी के कब्जे से एक-एक अवैध तमंचा .315 बोर, कुल 02 जिंदा कारतूस एवं 04 खोखा कारतूस बरामद हुए। इसके अतिरिक्त पिकअप वाहन से वध हेतु बिहार ले जाए जा रहे 06 गोवंश भी बरामद किए गए। घायल अभियुक्त विकास यादव एवं मेराज कुरैशी को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल लोढी भेजा गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य है। **उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना रायपुर पर मु0अ0सं0-89/2026, धारा 109, 61(2) बीएनएस, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट तथा धारा 3/5ए/5बी/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत** किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे गो-तस्करी का कार्य करते हैं तथा गोवंशों को बिहार ले जाकर बेचते हैं।

• गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :

1. **नाम :** विकास यादव
   पिता का नाम : बुट्टन यादव
   उम्र : लगभग 32 वर्ष
   निवासी : ग्राम झरिया, थाना चैनपुर, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार।
   (₹50,000 का इनामिया, मुठभेड़ में गिरफ्तार)

2. **नाम :** मेराज कुरैशी
   पिता का नाम : अकबर कुरैशी
   उम्र : लगभग 30 वर्ष
   निवासी : ग्राम चैनपुर, थाना चैनपुर, जिला कैमूर (भभुआ), बिहार।
   (मुठभेड़ में गिरफ्तार)

3. **नाम :** विजय प्रताप यादव उर्फ वकील यादव
   पिता का नाम : सीताराम
   उम्र : लगभग 35 वर्ष
   निवासी : ग्राम हथिनी, थाना चकरघट्टा, जनपद चन्दौली।

• बरामदगी का विवरण :

01. 02 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर
02. 02 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
03. 04 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

04. 06 राशि गोवंश

05. 01 अदद पिकअप वाहन

• आपराधिक इतिहास का विवरण :

अभियुक्त विकास यादव

1. मु0अ0सं0- 17/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना करमा जनपद सोनभद्र
2. मु0अ0सं0- 1220/25 धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना रा0गंज जनपद सोनभद्र
3. मु0अ0सं0- 111/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रायपुर जनपद सोनभद्र
4. मु0अ0सं0- 145/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रायपुर सोनभद्र
5. मु0अ0सं0- 163/25 धारा 109,61(2)व 3/25 आर्म्स एक्ट व धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रायपुर जनपद सोनभद्र
6. 06. मु0अ0सं0- 91/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली
7. मु0अ0सं0- 1100/25 धारा 109(1),61(2)(बी) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रा0गंज सोनभद्र

अभियुक्त मेराज कुरैशी

1. मु0अ0सं0-193/2025 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना राजगढ़, जनपद मिर्जापुर।
2. मु0अ0सं0-09/2026 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम, थाना संतनगर, जनपद मिर्जापुर।

• गिरफ्तार/अनावरण करने वाली पुलिस टीम :

1. प्रभारी निरीक्षक रायपुर श्री विमलेश कुमार सिंह मय पुलिस टीम।
2. प्रभारी निरीक्षक पन्नुगंज श्री माधव सिंह मय पुलिस टीम।
3. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रॉबर्ट्सगंज श्री रामस्वरुप वर्मा मय पुलिस टीम।
4. एसओजी/सर्विलांस प्रभारी श्री नागेश सिंह मय टीम, जनपद सोनभद्र।

सोनभद्र पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही सतत जारी है।